

न्यायालय:—सदस्य द्वितीय मोटरयान दुर्घटना, दावा अधिकरण गोहद
(समक्ष: पी0सी0आर्य)

क्लेम प्रकरण क्रमांक: 34 / 2014

संस्थित दिनांक—20 / 08 / 2013

फाइलिंग नं—230303001542013

1. सुनील कुमार स्वीपर बाल्मीकि पुत्र विश्राम स्वीपर,
आयु 25 साल निवासी ग्राम बाराहेट परगना,
गोहद जिला भिण्ड म.प्र.आवेदक

वि रू द्ध

- 1— गुरुजीत सिंह पुत्र आत्मा सिंह, 41 साल
ग्राम सिरसुला हाल बुद्धसिंह का पुरा,
थाना एण्डोरीवाहन चालक
- 2— सतनाम सिंह पुत्र अपार सिंह, 32 साल,
निवासी ग्राम रायतपुरा परगना गोहद.....वाहन स्वामी
- 3— प्रबंधक सुनाइटेड इण्डिया इंश्योरेंस कंपनी,
ब्राच ऑफिस 14, उषा कालौनी भिण्डबीमा कंपनी
.....अनावेदकगण

ए वं

क्लेम प्रकरण क्रमांक: 35 / 2014

संस्थित दिनांक—20 / 08 / 2013

फाइलिंग नं—230303001522013

1. गुडडू स्वीपर बाल्मीकि पुत्र विद्याराम स्वीपर,
आयु 25 साल निवासी ग्राम बाराहेट परगना,
गोहद जिला भिण्ड म.प्र.आवेदक

वि रू द्ध

- 1— गुरुजीत सिंह पुत्र आत्मा सिंह, 41 साल
ग्राम सिरसुला हाल बुद्धसिंह का पुरा,
थाना एण्डोरीवाहन चालक
- 2— सतनाम सिंह पुत्र अपार सिंह, 32 साल,
निवासी ग्राम रायतपुरा परगना गोहद.....वाहन स्वामी
- 3— प्रबंधक सुनाइटेड इण्डिया इंश्योरेंस कंपनी,
ब्राच ऑफिस 14, उषा कालौनी भिण्डबीमा कंपनी
.....अनावेदकगण

आवेदकगण द्वारा श्री हृदेश शुक्ला एड0।
 अनावेदक क्रमांक-1 व 2 श्री अशोक पचौरी एड0।
 अनावेदक क्रमांक-03 द्वारा श्री आर.के. बाजपेयी।

—::— अधि-निर्णय —::—

(आज दिनांक 08.04.2015 को खुले न्यायालय में घोषित)

1. उपरोक्त दोनों क्लेम प्रकरण एक ही घटना से संबंधित होकर दोनों प्रकरण समेकित किये गये हैं इसलिये उनका एक साथ निराकरण किया जा रहा है ।
2. आवेदकगण की ओर से उक्त आवेदनपत्र अंतर्गत धारा-166 मोटर दुर्घटना अधिनियम 1988 के अंतर्गत वाहन दुर्घटना में आयी साधारण और गंभीर चोटों के फलस्वरूप हुई शारीरिक, मानसिक पीडा एवं इलाज में लगे व्यय की क्षतिपूर्ति हेतु प्रस्तुत करते हुए आवेदक सुनील कुमार को कुल 2,55,000/-रुपये एवं आवेदक गुड्डू को कुल 2,50,000/-रुपये अनावेदकगण से संयुक्ततः एवं पृथक्कतः मय ब्याज सहित मय खर्चे के दिलाये जाने हेतु प्रस्तुत किया है ।
3. प्रकरण में यह निर्विवादित है कि अनावेदक क्रमांक-02 बताये गये दुर्घटनाकारी वाहन का पंजीकृत स्वामी है और उसका नियोजित चालक अनावेदक क्रमांक-1 दुर्घटना के समय दुर्घटनाकारी वाहन का चालन कर रहा था ।
4. क्लेम प्रकरण क्रमांक-34/2014 में आवेदक सुनील का आवेदन सार संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी सुनील ने थाना एण्डोरी पर इस आशय की मौखिक रिपोर्ट की कि वह धर्मसिंह कौरव की टेंट की दुकान पर मजदूरी करता था, दि0-27/4/2012 को आवेदक शादी के टेंट का सामान लेकर अशोक, गुड्डू, कल्लू के साथ ट्रैक्टर रजि0क0 एम0पी0 30 एम-9682 की ट्रॉली में बैठकर वापिस आ रहा था, उक्त ट्रैक्टर को अनावेदक क्र.1 तेजी व लापरवाही से चलाकर बाराहेट के पास पलट दिया जिससे उसके दाहिने पैर में जांघ में घुटने में मुंदा चोटें आयी और गुड्डू के बांये पैर में चोट आई तथा अशोक की कमर में चोटें आयी व कल्लू धोबी को भी चोटें आयीं । जिसकी उसने थाना एण्डोरी पर रिपोर्ट की जिस पर से अप0क0-45/12 धारा-279, 337, 338 भा. दं.वि.के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र जे0एम0एफ0सी0 न्यायालय में पेश किया गया। आवेदक ने दुर्घटना में आई चोटों का प्रारंभिक उपचार सी0एच0सी0 गोहद में कराया गया ।
5. आवेदक ने यह भी व्यक्त किया कि अनावेदक क्रमांक- 1 व 2 कहते रहे कि वह उसका पूरा इलाज करायेंगे व खर्चा देंगे इस कारण

उसने किसी भी प्रकार का क्लेम पेश नहीं किया था । लेकिन अनावेदकगण द्वारा कोई खर्चा इलाज संबंधी नहीं कराया गया है, न ही दवाई करायी है, वह आवेदक को नुकसान देने को भी तैयार नहीं है, आवेदक को आयी गंभीर चोटों के कारण वह मजदूरी नहीं कर पा रहा है आवेदक मजदूरी करके 1,50,000/—रुपये मासिक कमाता है । आवेदक का इलाज में एक लाख रुपये खर्च हो गया है । आवेदक को चलने में आज भी परेशानी हो रही है तथा इलाज में, पौष्टिक आहार एवं दवाई में काफी खर्चा हुआ है । उसे मानसिक वेदना भी हुई है । अतः उसे कुल 02,55,000/—रुपये की क्षति हुई, जो वह अनावेदकगण से संयुक्ततः और पृथक्ततः पाने का पात्र है। इसलिये आवेदन स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार क्षतिपूर्ति दिलाई जावे।

6. अनावेदक क्र०-1 व 2 की ओर से मूल आवेदनपत्र का जवाब प्रस्तुत कर विरोध करते हुए उल्लेखित किया गया है कि ट्रैक्टर क्रमांक-एम०पी.-30 / एम-9682 से कोई दुर्घटना नहीं हुई है, न ही अनावेदक क्र.-1 गुरुजीत सिंह उक्त ट्रैक्टर का चालक था । आवेदक कथित ट्रैक्टर में कभी नहीं बैठा । आवेदक ने झूठा क्लेम पाने के लिए थाना एण्डोरी पुलिस से मिलकर झूठा प्रकरण पंजीबद्ध कराया है । आवेदक पूर्णतः हष्टपुष्ट नौजवान पुरुष है, आवेदक बेरोजगार है, जिसके पास पूर्व में कोई आय नहीं है । आवेदक के परिवारजन अपना अपना भरण पोषण करने में समर्थ हैं । यदि न्यायालय आवेदक के आवेदनपत्र को प्रमाणित पाती है तो क्षतिपूर्ति के लिए अनावेदक क्र.-3 के यहां बीमित है और अनावेदक क्र.-1 के पास कथित वाहन चलाने का वैध एवं प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस है ।
7. अनावेदक क्र०-3 बीमा कंपनी की ओर से मूल आवेदन पत्र का जवाब प्रस्तुत कर विरोध करते हुए उल्लेखित किया है कि ट्रैक्टर क्रमांक-एम०पी.-30 / एम-9682 के चालक के अलावा अन्य कोई व्यक्ति बैठकर यात्रा नहीं कर सकता क्योंकि चालक के बैठने का ही प्रीमियम लिया है, अन्य किसी व्यक्ति का प्रीमियम नहीं लिया है, वाहन का बीमा मात्र कृषि कार्य हेतु किया गया है, पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन किया गया है ।
8. आवेदक अपनी आय गलत बतायी है, तथा ट्रैक्टर क्रमांक-एम०पी.-30 / एम-9682 से कोई दुर्घटना घटित नहीं हुई है। न ही उसे कोई फ्रेक्चर या स्थाई विकलांगता हुई है। वाहन स्वामित्व के संबंध में वाहन का प्रमाणित रजिस्ट्रेशन प्रस्तुत नहीं किया गया है जो प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है तथा चालक के पास वैध एवं प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था तथा विशेष आपत्ति में यह भी व्यक्त किया गया है कि कथित वाहन द्वारा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन है। तथा आवेदक ने अनावेदक क्र.-1 व 2 से दुरभि संधि कर ली है जिससे अनावेदक क्र.-3 के हितों को क्षति पहुंचने की संभावना है। इसलिये अनावेदक क्र०-3 का कोई दायित्व नहीं है । अतः आवेदक का आवेदनपत्र सव्यय निरस्त किए जाने का निवेदन किया है ।

9. क्लेम प्रकरण क्रमांक-34 / 2014 में उभय पक्ष के अभिवचनों के आधार पर प्रकरण में पूर्वाधिकारी द्वारा निम्नवाद प्रश्न विरचित किये गये जिन पर निकाले गये निष्कर्ष उनके समक्ष अंकित है :-

वाद प्रश्न**निष्कर्ष**

1	क्या, दि०-27 / 4 / 2012 को बाराहेट थाना एण्डोरी में अना.क्र.-1 के द्वारा वाहन महिन्द्रा ट्रैक्टर क्रमांक-एम०पी.-30 / एम-9682 को तेजी व लापरवाही से चलाकर आवेदक को गंभीर उपहति कारित की ?	
2	क्या, उपरोक्त दुर्घटना कारित करने में आवेदक को स्वयं की लापरवाही एवं उपेक्षा रही, यदि हां तो किस सीमा तक ?	
3	क्या, उक्त दुर्घटना के फलस्वरूप आवेदक को स्थायी अशक्तता कारित हुई ?	
4	क्या दुर्घटना के समय प्रश्नाधीन वाहन मोटरयान अधिनियम के नियमों के विपरीत चलाया जा रहा था । यदि हां तो प्रभाव ?	
5	क्या, आवेदक, क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त करने का अधिकारी है ? यदि हां तो किससे ?	
6	सहायता एवं व्यय?	
अतिरिक्त वादप्रश्न		
7	क्या घटना दिनांक को प्रश्नाधीन वाहन बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन कर चलाया जा रहा था? यदि हाँ तो प्रभाव?	

10. क्लेम प्रकरण क्रमांक-35 / 2014 में आवेदक गुड्डू का आवेदन सार संक्षेप में इस प्रकार है कि वह धर्मसिंह कौरव की टेंट की दुकान पर मजदूरी करता था, दि०-27 / 4 / 2012 को आवेदक शादी के टेंट का सामान लेकर अशोक, सुनील, कल्लू के साथ ट्रैक्टर रजि०क्र० एम०पी० 30 एम-9682 की ट्रॉली में बैठकर वापिस आ रहा था, उक्त ट्रैक्टर को अनावेदक क्र.-1 तेजी व लापरवाही से चलाकर बाराहेट के पास पलट दिया जिससे उसके दाहिने पैर में जांघ में घुटने में मुंदा चोटें आयी और उसके बांये पैर में चोट आई तथा अशोक की कमर में चोटें आयी व कल्लू धोबी एवं सुनील को भी चोटें आयीं । जिसकी सुनील ने थाना एण्डोरी पर रिपोर्ट की जिस पर से अप०क्र०-45 / 12 धारा-279, 337, 338 भा.दं.वि.के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र जे०एम०एफ०सी० न्यायालय में

पेश किया गया। आवेदक ने दुर्घटना में आई चोटों का प्रारंभिक उपचार सी0एच0सी0 गोहद में कराया गया ।

11. आवेदक ने यह भी व्यक्त किया कि अनावेदक क्रमांक- 1 व 2 कहते रहे कि वह उसका पूरा इलाज करायेंगे व खर्चा देंगे इस कारण उसने किसी भी प्रकार का क्लेम पेश नहीं किया था । लेकिन अनावेदकगण द्वारा कोई खर्चा इलाज संबंधी नहीं कराया गया है, न ही दवाई करायी है, वह आवेदक को नुकसान देने को भी तैयार नहीं है, आवेदक को आयी गंभीर चोटों के कारण वह मजदूरी नहीं कर पा रहा है और अपनी पुत्री व पत्नी का भरण पोषण नहीं कर पा रहा है । आवेदक मजदूरी करके 1,50,000/-रूपये मासिक कमाता है । आवेदक का इलाज में एक लाख रूपये खर्च हो गया है । आवेदक को चलने में आज भी परेशानी हो रही है तथा इलाज में, पौष्टिक आहार एवं दवाई में काफी खर्चा हुआ है । उसे मानसिक वेदना भी हुई है । अतः उसे कुल 02,50,000/-रूपये की क्षति हुई, जो वह अनावेदकगण से संयुक्ततः और पृथक्ततः पाने का पात्र है। इसलिये आवेदन स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार क्षतिपूर्ति दिलाई जावे।

12. अनावेदक क्र0-1 व 2 की ओर से मूल आवेदनपत्र का जवाब प्रस्तु कर विरोध करते हुए उल्लेखित किया गया है कि ट्रैक्टर क्रमांक-एम0पी.-30 / एम-9682 से कोई दुर्घटना नहीं हुई है, न ही अनावेदक क्र.-1 गुरुजीत सिंह उक्त ट्रैक्टर का चालक था । आवेदक कथित ट्रैक्टर में कभी नहीं बैठा । आवेदक ने झूठा क्लेम पाने के लिए थाना एण्डोरी पुलिस से मिलकर झूठा प्रकरण पंजीबद्ध कराया है । ओवदक पूर्णतः हष्टपुष्ट नौजवान पुरुष है, आवेदक बेरोजगार है, जिसके पास पूर्व में कोई आय नहीं है । आवेदक के परिवारजन अपना अपना भरण पोषण करने में समर्थ हैं । यदि न्यायालय आवेदक के आवेदनपत्र को प्रमाणित पाती है तो क्षतिपूर्ति के लिए अनावेदक क्र.-3 के यहां बीमित है और अनावेदक क्र.-1 के पास कथित वाहन चलाने का वैध एवं प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस है ।

13. अनावेदक क्र0-3 बीमा कंपनी की ओर से मूल आवेदन पत्र का जवाब प्रस्तुत कर विरोध करते हुए उल्लेखित किया है कि ट्रैक्टर क्रमांक-एम0पी.-30 / एम-9682 के चालक के अलावा अन्य कोई व्यक्ति बैठकर यात्रा नहीं कर सकता क्योंकि चालक के बैठने का ही प्रीमियम लिया है, अन्य किसी व्यक्ति का प्रीमियम नहीं लिया है, वाहन का बीमा मात्र कृषि कार्य हेतु किया गया है, पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन किया गया है ।

14. आवेदक अपनी आय गलत बतायी है तथा ट्रैक्टर क्रमांक-एम0पी.-30/एम-9682 से कोई दुर्घटना घटित नहीं हुई है। न ही उसे कोई फ्रेक्चर या स्थाई विकलांगता हुई है। वाहन स्वामित्व के संबंध में वाहन का प्रमाणित रजिस्ट्रेशन प्रस्तुत नहीं किया गया है जो प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है तथा चालक के पास वैध एवं प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था तथा विशेष आपत्ति में यह भी व्यक्त किया गया है कि कथित वाहन द्वारा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन है। तथा आवेदक ने अनावेदक

क्र.-1 व 2 से दुरभि संधि कर ली है जिससे अनावेदक क्र.-3 के हितों को क्षति पहुंचने की संभावना है। इसलिये अनावेदक क्र0-3 का कोई दायित्व नहीं है । अतः आवेदक का आवेदनपत्र सव्यय निरस्त किए जाने का निवेदन किया है ।

15. क्लेम प्रकरण क्रमांक-35 / 2014 में उभय पक्ष के अभिवचनों के आधार पर प्रकरण में पूर्वाधिकारी द्वारा निम्नवाद प्रश्न विरचित किये गये जिन पर निकाले गये निष्कर्ष उनके समक्ष अंकित है :-

वाद प्रश्न

निष्कर्ष

1	क्या, दि0-27 / 4 / 2012 को बाराहेट थाना एण्डोरी में अना.क्र.-1 के द्वारा वाहन महिन्द्रा ट्रैक्टर क्रमांक-एम0पी.-30 / एम-9682 को तेजी व लापरवाही से चलाकर आवेदक को गंभीर उपहति कारित की ?	
2	क्या, उपरोक्त दुर्घटना कारित करने में आवेदक को स्वयं की लापरवाही एवं उपेक्षा रही, यदि हां तो किस सीमा तक ?	
क्या, उक्त स्थाई	क्या उक्त दुर्घटना के फलस्वरूप आवेदक को स्थाई असक्तता कारित हुई?	
4	क्या दुर्घटना के समय प्रश्नाधीन वाहन मोटरयान अधिनियम के नियमों के विपरीत चलाया जा रहा था । यदि हां तो प्रभाव ?	
5	क्या, आवेदक, क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त करने का अधिकारी है ? यदि हां तो किससे ?	
6	सहायता एवं व्यय?	
अतिरिक्त वाद प्रश्न		
7	क्या घटना दिनांक को प्रश्नाधीन वाहन बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन कर चलाया जा रहा था? यदि हाँ तो प्रभाव?	

— निष्कर्ष के आधार —

16. क्लेम प्रकरण क्रमांक-34 / 2014 में आवेदकगण की ओर से स्वयं सुनील कुमार आ.सा.-1, धर्मवीर आ.सा.-2 का कथन कराया गया है तथा प्र0पी0-1 लगायत 23 के दस्तावेज प्रदर्शित कराये गये हैं। तथा अनावेदक क्रमांक- 1 व 2 की ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं की गयी है एवं अनावेदक क्रमांक-3 बीमा कंपनी की ओर से खंडन में राजेश कुमार गुप्ता अना.सा.-1 की साक्ष्य पेश की गई है। तथा प्र0डी0-1 का दस्तावेज

प्रदर्शित कराया गया है।

17. क्लेम प्रकरण क्रमांक-35/2014 में आवेदक गुड्डू ओर से स्वयं गुड्डू वाल्मीकि आ.सा.-1, धर्मवीर आ.सा.-2 के कथन कराये गये हैं तथा प्र0पी0-1 लगायत प्र0पी0-1 लगायत प्र0पी0-22 के दस्तावेज प्रदर्शित कराये गये हैं तथा अनावेदक क्रमांक- 1 व 2 की ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं की गयी है एवं अनावेदक क्रमांक-3 बीमा कंपनी की ओर से खंडन में राजेश कुमार गुप्ता अना.सा.-1 की साक्ष्य पेश की गई है। तथा प्र0डी0-1 का दस्तावेज प्रदर्शित कराया गया है।

नोट:- दोनों प्रकरणों के वाद प्रश्न एकसमान हैं इसलिये उनको एकसाथ ही निराकृत किया जा रहा है।

-:- वा द प्र श न क मां क-1 व 2 -:-

18. प्र0क0-34/14 क्लेम के आवेदक साक्षी सुनीलकुमार अ0सा0-1 ने अपने मुख्य परीक्षण के अभिसाक्ष्य में मूलतः यह बताया है कि वह धर्मसिंह कौरव के टैन्ट की दुकान पर मजदूरी करता था। दिनांक 27.04.12 को वह और उसके साथ अशोक, कल्लू, सुनील, धर्मवीरसिंह सिंख के यहाँ शादी में टैन्ट का सामान लेने गये थे। और ट्रैक्टर क्रमांक-एम0पी0-30एम-9682 में सामान ट्रॉली में रखकर और ट्रॉली में बैठकर आ रहे थे। ट्रैक्टर को गुरुजीतसिंह चला रहा था जो ट्रैक्टर को तेजी व लापरवाही से चला रहा था। जिस पर उन्होंने उसे ठीक से चलाने के लिये भी कहा था। लौटते समय दोपहर के करीब एक बजे सोवरन निवासी बाराहेट के खेत के पास गुरुजीतसिंह ने ट्रैक्टर तेजी व लापरवाही से पलट दिया था जिससे उसे शरीर में जगह जगह चोटें आई थीं। गुड्डू को बांये पैर में चोट आई थी। अशोक व कल्लू को भी चोटें आई थीं और उसने घटना की थाना एण्डोरी में रिपोर्ट की थी। ट्रैक्टर सतनामसिंह का था। गुरुजीतसिंह और सतनामसिंह ने उनसे पूरा इलाज का खर्च उठाने को कहा था किन्तु कोई बयान नहीं दिया था। न कोई इलाज कराया। दुर्घटना में उसे गंभीर चोटें आई थीं। इसी तरह की अभिसाक्ष्य प्र0क0-35/14 के आवेदक गुड्डू अ0सा0-1 ने भी अपने अभिसाक्ष्य में दिया है। और यह भी कहा है कि उसके बांये पैर में चोटें आई थीं।

19. दोनों प्रकरणों में आवेदक साक्षी क0-2 के रूप में परीक्षित हुए धर्मवीर ने अपने अभिसाक्ष्य में आवेदकगण व अनावेदक क0-1 व 2 को जानना बताते हुए यह कहा है कि धर्मसिंह का ट्रैक्टर गुरुजीत चलाता था। करीब दो ढाई साल पहले जब वह ट्रैक्टर क्रमांक-एम0पी0-30/9682 से टैंट का सामान लेकर आ रहा था तो गुरुजीत के द्वारा ट्रैक्टर को तेजी व लापरवाही से चलाकर सोवरन के खेत के पास पलट दिया था जिससे सुनील व गुड्डू को चोटें आई थीं। गुड्डू के बांये पैर में फ्रैक्चर हो गया था। दोनों प्रकरणों में आवेदकगण के द्वारा दुर्घटना के संबंध में थाना एण्डोरी में पंजीबद्ध हुए अप0क0-45/12 धारा-279, 337, 338 भा0द0वि0 का अभियोग पत्र, एफआईआर, नक्शा मौका, एमएलसी रिपोर्टें, सुनील की एक्सरे रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपियों को प्र0पी0-1 लगायत 8 के रूप में पेश किया है। दोनों आवेदकगण ने प्रतिपरीक्षण में विलंबित एफआईआर के

संबंध में यह स्पष्टीकरण दिया है कि गुरुजीतसिंह और सतनाम सिंह ने इलाज कराने को कहा था इसलिये उस समय रिपोर्ट नहीं की गई थी जबकि उन्हें रास्ते में थाना मालनपुर व गोहदचौराहा मिले थे। इलाज गोहद के सरकारी अस्पताल में हुआ था। और उन्होंने डॉक्टर को भी यह बात बताई थी कि उन्हें जो चोटें आई हैं वह एक्सीडेंट से आई हैं। तथा इलाज कराने के बाद 20-25 दिन बाद रिपोर्ट की गई थी ऐसा सुनील ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है और यह भी स्वीकार किया है कि किसी भी घटना की रिपोर्ट तुरंत की जाती है। इस बात से इन्कार किया है कि अनावेदक क्र०-1 व 2 के ट्रैक्टर से कोई दुर्घटना नहीं हुई। अन्य कोई तथ्य इस संबंध में दोनों प्रकरणों के साक्षियों के कथनों में नहीं आये हैं। और धर्मवीर अ०सा०-2 के मुताबिक वह घटना के समय मौके पर मौजूद नहीं था, बाद में पहुंचा था। लेकिन वह इस बात की पुष्टि करता है कि आवेदकगण अनावेदक क्र०-2 के ट्रैक्टर ट्रॉली से लौट रहे थे जिसमें टैन्ट का सामान लाया जा रहा था और अनावेदक क्र०-1 उसे चला रहा था जिसकी उपेक्षा के कारण दुर्घटना घटित हुई।

20. प्र०पी०-2 की एफआईआर के मुताबिक भी आवेदकगण के द्वारा दी गई साक्ष्य अनुरूप ही घटनाक्रम बताया गया है। और अनावेदक क्र०-1 व 2 की ओर से खण्डन में कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई है जिससे इस बात की पुष्टि हो जाती है कि दिनांक 27.04.12 को दिन के करीब एक बजे बाराहेड बरौना रोड के पास सोवरन कौरव के खेत के पास ट्रैक्टर क्रमांक-एम०पी०-30एम-9682 के चालक अनावेदक क्र०-1 गुरुजीतसिंह के द्वारा उसे उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर पलट दिया जिससे ट्रॉली में बैठे दोनों प्रकरणों के आवेदकगण व अन्य को चोटें आईं। प्रकरण में यद्यपि चिकित्सक का साक्ष्य नहीं हुआ है किन्तु सुनील और गुड्डू की एमएलसी रिपोर्टें प्र०पी०-6 व 7 व सुनील की एकसरे रिपोर्ट प्र०पी०-8 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि गुड्डू को दुर्घटना में साधारण चोटें आईं और सुनील को दाहिने पैर की जांघ में अस्थिभंगन भी कारित हुआ जिससे सुनील की चोटें गंभीर प्रकृति की हो जाती हैं। गुड्डू को कोई गंभीर प्रकृति की चोट नहीं आई। और प्रकरण में इस आशय की कोई भी साक्ष्य या सुझाव नहीं है जो यह साबित करे कि उपरोक्त दुर्घटना कारित करने में आवेदक की स्वयं की कोई लापरवाही या उपेक्षा रही हो अन्यथा अनावेदक क्र०-1 के द्वारा प्राईवेट स्थान पर ट्रैक्टर ट्रॉली को उपेक्षापूर्वक चलाकर पलटाया गया है। क्योंकि प्र०पी०-3 के नक्शामौका मुताबिक दुर्घटनास्थल बाराहेट बरौना रोड की न होकर रोड के बगल में सोवरनसिंह कौरव के खेत के सामने का है जो प्राईवेट स्थान की श्रेणी में आयेगा।

21. इस तरह से दोनों प्रकरणों में आई साक्ष्य में जिसमें मौखिक और दस्तावेजी दोनों प्रकार की शामिल है, उसको देखते हुए यह प्रमाणित होता है कि दिनांक 27.04.12 को दिन के करीब 1.00 बजे अनावेदक क्र०-1 गुरुजीतसिंह के द्वारा अनावेदक क्र०-2 के स्वामित्व का महिन्द्रा ट्रैक्टर क्रमांक-एम०पी०-30एम-9682 जिसके साथ ट्रॉली जुड़ी हुई थी, उसे उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर पलट दिया जिससे सुनील को साधारण एवं गंभीर उपहति तथा गुड्डू को साधारण उपहति कारित हुई जिसमें आवेदकगण की कोई उपेक्षा या लापरवाही नहीं रही। फलतः वाद

प्रश्न क्रमांक-1 प्रमाणित और वाद प्रश्न क्रमांक-2 अप्रमाणित निर्णीत किये जाते हैं।

-:- वा द प्र श न क मां क-3 -:-

1.

22. इस संबंध में आवेदक ने अपने अभिवचनों में दुर्घटना के फलस्वरूप गंभीर उपहति होना और स्थाई रूप से असक्तता आ जाना बताया है जिससे वह मजदूरी प्रभावी रूप से नहीं कर पा रहे हैं। प्र0क्र0-34/14 के आवेदक सुनीलकुमार और प्र0क्र0-35/14 के आवेदक गुड्डू ने अपने अभिसाक्ष्य में इसी आशय की साक्ष्य दी है कि दुर्घटना में गंभीर चोटें आई हैं और आज तक वह मजदूरी करने में असमर्थ हैं और ढंग से चल फिर भी नहीं पा रहे हैं। जबकि उन पर अपनी पत्नी व बच्चों के भरणपोषण का उत्तरदायित्व है। किन्तु अभिलेख पर दोनों ही प्रकरणों के आवेदकगण ने किसी चिकित्सक का परीक्षण नहीं कराया है। न ही ऐसा कोई चिकित्सीय प्रमाण पेश किया है जिससे उन्हें स्थाई रूप से शरीर के किसी अंग में निःशक्तता प्रमाणित होती हो। इसके विपरीत आवेदक साक्षी क्र0-2 धर्मवीर के द्वारा अपने अभिसाक्ष्य के पैरा-2 में स्पष्ट रूप से यह स्वीकार किया गया है कि सुनील और गुड्डू बाराहेट पर जो सड़क बन रही है वहाँ पर कार्य करते हैं और यह भी स्वीकार किया है कि वे दोनों अब पूर्ण रूप से ठीक हो चुके हैं। जबकि धर्मवीर का सुनील सगा भाई है और गुड्डू उसका गांव नाते भाई लगता है। ऐसे में मौखिक साक्ष्य से आवेदकगण का पूर्व की तरह मजदूरी करना और पूर्ण स्वस्थ होना प्रमाणित होता है। और कोई स्थाई असक्तता उन्हें कारित नहीं हुई है। फलतः वाद प्रश्न क्रमांक-3 आवेदकगण के विरुद्ध निर्णीत कर अप्रमाणित ठहराया जाता है।

**-:- वा द प्र श न क मां क-4 एवं अतिरिक्त
वाद प्रश्न क्रमांक-7 -:-**

23. दोनों ही वाद प्रश्न एक दूसरे से संबंधित होने से उनका निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

24. उपरोक्त वाद प्रश्नों का प्रमाण भार अनावेदकगण पर है। अनावेदक क्र0-1 व 2 की ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई है। अनावेदक क्र0-3 बीमा कंपनी की ओर से दोनों ही प्रकरणों में प्र0डी0-1 की बीमा पॉलिसी पेश करते हुए यूनाईटेड इंश्योरेंस कंपनी शाखा भिण्ड के शाखा प्रबंधक राजेश कुमार गुप्ता अना0क्र0-1 को परीक्षित कराया गया है जिसने अपने अभिसाक्ष्य में यह कहा है कि महिन्द्रा ट्रैक्टर क्रमांक — एम0पी0-30एम-9682 जो सतनामसिंह के नाम से है, दिनांक 06.03.12 से दिनांक 05.03.13 तक उनकी कंपनी में केवल कृषि कार्य हेतु बीमित किया गया था जिसमें केवल चालक के बैठने का ही प्रीमियम दिया गया था। अन्य किसी व्यक्ति के बैठने का कोई प्रीमियम नहीं दिया गया था। और घटना दिनांक को उक्त वाहन में बीमा पॉलिसी की शर्तों के विपरीत आवेदक यात्री के रूप में बैठकर यात्र कर रहे थे। ट्रैक्टर का कृषि भिन्न प्रयोजन टैंट का सामान ढोने में उपयोग बीमा पॉलिसी की शर्तों के प्रतिकूल किया जा रहा था। इसलिये बीमा कंपनी का कोई दायित्व नहीं है।

25. पैरा-3 में उसने यह भी स्वीकार किया है कि ट्रैक्टर से कृषि

से संबंधित निजी कार्य कर सकते हैं तथा ट्रैक्टर का स्वामी अपना निजी अन्य कार्य ही ट्रैक्टर से कर सकता है। वाहन पर बैठकर कोई यात्रा नहीं कर सकता है। जबकि इस संबंध में आवेदक की ओर से यह साक्ष्य दी गई है कि जिस ट्रैक्टर से दुर्घटना हुई वह बीमित था। दोनों प्रकरणों के आवेदकों की अभिसाक्ष्य में यह स्वीकारोक्ति आई है कि घटना वाले दिन वे चकबरौना टैन्ट लगाने के लिये गये थे और मजदूरी करते थे। तथा टैन्ट का सामान ट्रॉली में लेकर लौट रहे थे। उसमें ड्रायवर के अलावा पांच लोग थे जिनमें सुनील, गुड्डू, अशोक, कल्लू और शनि थे और टैन्ट का सामान भी भरा हुआ था जो शादी में लगा था उसे ही वापिस लेकर आ रहे थे और वे सियाराम टैन्ट वाले के यहाँ मजदूरी करते थे। इससे यह स्पष्ट है कि घटना दिनांक को आवेदकगण की जिस ट्रैक्टर ट्रॉली से दुर्घटना घटित हुई, दुर्घटना के समय ट्रैक्टर का उपयोग व्यावसायिक रूप से टैन्ट का सामान ढोने के लिये किया जा रहा था।

26. प्र0डी0-1 की बीमा पॉलिसी के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अनावेदक क०-3 के यहाँ उक्त ट्रैक्टर क्रमांक-एम0पी0-30एम-9682 का जो बीमा दिनांक 06.03.12 से 05.03.13 की अवधि के लिये किया गया था वह कृषि प्रयोजन (फार्मर्स पैकेज पॉलिसी)के रूप में किया गया था। बीमा प्रमाण पत्र में जो उत्तरदायित्व की सीमा निर्धारित है, उसमें उक्त दुर्घटना में तृतीय पक्ष की मृत्यु या शारीरिक क्षति या तृतीय पक्ष की संपत्ति की क्षति का जोखिम दायित्वाधीन बताया गया है। इसलिये प्रकरण में इस बिन्दु पर विचार करना होगा कि क्या आवेदकगण तृतीय पक्ष या पर व्यक्ति की श्रेणी में आते हैं या नहीं। और क्या वह ट्रैक्टर ट्रॉली में कृषि भिन्न प्रयोजन से यात्रा करने के लिये अधिकृत थे? क्या प्रकरण में मोटरयान अधिनियम की धारा-147 और 149 की बाधा आती है? क्योंकि अनावेदक क०-3 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इसी आशय के लिखित व मौखिक तर्क प्रस्तुत किये गये हैं कि जो बीमा किया गया था वह केवल कृषि प्रयोजन के लिये था। और उसमें एकमात्र चालक ही पॉलिसी अनुसार बैठ सकता था। अन्य कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार से यात्री के रूप में यात्रा नहीं कर सकता था। न ही प्रीमियम लिया गया था। इस संबंध में कुछ न्याय दृष्टांत भी उनके द्वारा पेश किये गये हैं जिनका आगे विश्लेषण में उल्लेख किया जावेगा। जबकि आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह व्यक्त किया है कि आवेदकगण अशिक्षित ग्रामीण मजदूर पेशा हैं और वह तृतीय पक्ष की श्रेणी में आते हैं। इसलिये दुर्घटना में हुई क्षतिपूर्ति के लिये वह मुजावजा पाने के अधिकारी हैं और बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन नहीं माना जा सकता है। तथा अनावेदक क०-1 व 2 के विद्वान अधिवक्ता ने भी अपने तर्कों में यही कहा है कि दुर्घटना दिनांक को वाहन बीमित था और ट्रैक्टर के साथ ट्रॉली जुड़ी रहती है क्योंकि ट्रॉली के माध्यम से ही कृषि कार्य और उससे जुड़े कार्य होते हैं। तथा ट्रैक्टर का उपयोग केवल कृषि कार्य के लिये नहीं होता है, अन्य कार्य भी किये जाते हैं। इसलिये बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन नहीं है।

27. इस संबंध में अभिलेख पर जो अभिवचन व साक्ष्य है उससे इस बिन्दु पर कोई विरोधाभास या भिन्नता की स्थिति नहीं है कि ट्रैक्टर क्रमांक-एम0पी0-30एम-9682 प्र0डी0-1 की बीमा पॉलिसी मुताबिक कृषि प्रयोजन के लिये बीमित था जो फार्मर्स पैकेज पॉलिसी के रूप में था। तथा

दुर्घटना के समय उसका उपयोग व्यावसायिक रूप से किया जा रहा था क्योंकि उससे टैंट का सामान और टैंट लगाने वाले मजदूरों का परिवहन किया जा रहा था। जिस शादी में टैंट लगाया गया था वह भी धीरसिंह सिख नामक व्यक्ति के यहाँ लगाया गया था और वहाँ से लेकर लौट रहे थे अर्थात् न तो वह टैंट वाहन स्वामी के यहाँ लगाया गया था और न ही वाहन स्वामी का वह निजी कार्य था न ही कृषि से संबंधित कोई कार्य था। टैन्ट का सामान ढोना स्वमेव ही व्यावसायिक उद्देश्य के अंतर्गत आता है जिससे इस बात का स्पष्ट प्रमाण मिलता है कि दुर्घटना के समय दुर्घटनाकारी ट्रैक्टर का उपयोग व्यावसायिक रूप से किया जा रहा था जिसके लिये न तो बीमा किया गया था और न ही व्यक्तिगत परिवहन हेतु अनावेदक क्र०-2 के पास कोई व्यावसायिक परिवहन का कोई ड्रायविंग लायसेन्स था।

28. जहाँ तक आहतगण अर्थात् आवेदकगण के पर व्यक्ति या तृतीय पक्ष की श्रेणी में रखे जाने का बिन्दु उठाया गया है वह इसलिये मान्य किये जाने योग्य नहीं है क्योंकि जो दुर्घटना घटित हुई है उसमें किसी अन्य वाहन के द्वारा दुर्घटना नहीं की गई है बल्कि दुर्घटनाकारी वाहन के चालक द्वारा ही वाहन को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर स्वयं पलटाया गया है। ऐसी स्थिति में आवेदकगण तृतीय पक्ष या पर व्यक्ति की श्रेणी में नहीं रखे जा सकते हैं। इस संबंध में न्याय दृष्टांत **ओरियेन्टल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरुद्ध सुधाकरण के०व्ही० एवं अन्य 2008 भाग-2 ए०सी०टी० 172** एस०सी० में प्रतिपादित सिद्धान्त अवलोकनीय है। तथा **यूनाईटेड इण्डिया इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरुद्ध सब्जेराव 2008 भाग-1 ए०सी०सी०डी० 23 (एस०सी०)** में भी यही मार्गदर्शित किया गया है कि उक्त न्याय दृष्टांत के मामले में भी ट्रैक्टर की ट्रॉली में श्रमिकों को यात्रा कराई जा रही थी और ट्रैक्टर कृषि प्रयोजन के लिये बीमित था उसी के लिये प्रीमियम दिया गया था। ऐसे में ट्रॉली में यात्रा करने वाले व्यक्तियों के संबंध में बीमा कंपनी का दायित्व नहीं माना जायेगा।

29. इस संबंध में माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर द्वारा भी **पप्पू उर्फ ओमप्रकाश एवं अन्य 1992 भाग-2 दुर्घटना मुआवजा प्रकाशिका पेज-176** अनावेदक क्र०-3 की ओर से पेश किया गया है जिसमें भी मोटरयान अधिनियम की धारा-147 के अंतर्गत बीमाकर्ता के दायित्व के संबंध में मार्गदर्शन दिया गया है। न्याय दृष्टांत के मामले में भी ट्रैक्टर ट्रॉली का अंधाधुंध एवं उपेक्षापूर्वक चालन किया गया था और उसमें जो आहत व मृत हुए व्यक्ति बैठे हुए थे, वे भी कृषि कार्य में लगे हुए थे और वाहन स्वामी के ट्यूबवैल पर नाली बनाने के लिये इंटों का परिवहन कर रहे थे जिसे कृषि प्रयोजन के लिये लाना बताया गया था। इस मामले में तो टैन्ट का सामान ले जाया जा रहा था वह विशुद्ध रूप से कृषि भिन्न कार्य ही है। और न्याय दृष्टांत के मामले में भी बीमा कंपनी का दायित्व नहीं माना गया तथा बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन माना गया। इसी प्रकार न्याय दृष्टांत **रामसेवक विरुद्ध नवाबसिंह एवं अन्य 2009 भाग-1 दुर्घटना मुआवजा प्रकाशिका पेज-350 (एम०पी०)** में भी इसी आशय का विनिश्चय करते हुए बीमा कंपनी को उत्तरदायित्व से मुक्त किया गया था।

30. अनावेदक क्र०-3 की ओर से प्रस्तुत किये गये न्याय दृष्टांत न्यू इण्डिया इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरुद्ध बेदवती एवं अन्य 2007 वोल्यूम-2 ट्रांसपोर्ट एण्ड एक्सीडेंट केसेस पेज-8 (एस०सी०) में भी कृषि प्रयोजन के लिये बीमित वाहन में यात्री परिवहन को बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन माना गया और बीमा कंपनी को दायित्व से मुक्त किया गया था। तथा माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत यूनाईटेड इण्डिया इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरुद्ध श्रीमती अंगूरी देवी एवं अन्य 2010 भाग-1 एस०सी०डी० पेज-452 एम०पी० के मामले में भी ट्रैक्टर ट्रॉली थी और ट्रैक्टर पलट गया था जो केवल कृषि प्रयोजन के लिये बीमित था। और उसमें केवल चालक की जोखिम आच्छादित थी इसलिये बीमा कंपनी को मुआवजा संदाय करने के लिये दायी नहीं माना गया। इसी संबंध में उनकी ओर से दौलतराम विरुद्ध रामेश्वर शर्मा एवं अन्य 2013 वोल्यूम-2 एस०सी०डी० 1859 (एम०पी०) पेश किया गया है।

31. न्याय दृष्टांत लक्ष्मणदास विरुद्ध राजीव ठाकुर 2007 भाग-1 एम०पी०डब्ल्यू०एन० एस०एन०-4 के मामले में ट्रैक्टर में मृतक यात्रा कर रहा था। प्रीमियम केवल चालक के लिये दी गई थी। अन्य व्यक्ति के यात्रा की अनुमति नहीं थी इसलिये बीमा कंपनी का उत्तरदायित्व नहीं माना गया। इसी प्रकार मिथलेश विरुद्ध बृजेन्द्रसिंह 2007 वोल्यूम-1 एम०पी०एल०जे० पेज-315 में भी ट्रैक्टर ट्रॉली कृषि उद्देश्य के लिये बीमित थी और उसका उपयोग गैर कृषि उद्देश्य के लिये हो रहा था। ऐसे में ट्रैक्टर पर बैठे व्यक्तियों की दुर्घटना में मृत्यु के लिये बीमा कंपनी दायित्व से मुक्त मानी गई। इस प्रकार से उपरोक्त न्याय दृष्टांतों में जो मार्गदर्शन दिये गये हैं उससे यही स्पष्ट होता है कि यदि वाहन कृषि प्रयोजन के लिये बीमित हो और केवल चालक का जोखिम ही दायित्वाधीन हो तो ऐसे ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठे अन्य व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु या क्षति होने पर बीमा कंपनी उत्तरदायी नहीं होगी। और यह स्पष्ट रूप से बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन है। जो कि मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 149(2) का उल्लंघन माना जायेगा। और बीमा अधिनियम की धारा 2(5) का भी उल्लंघन है। ऐसे में यह प्रमाणित होता है कि दुर्घटना के समय प्रश्नाधीन वाहन मोटरयान अधिनियम के अधिनियमों एवं बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन करते हुए चलाया जा रहा था जिसका यह प्रभाव होगा कि बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति की उत्तरदायी नहीं है। उक्त अनुसार वाद प्रश्न क्रमांक-4 एवं अतिरिक्त वाद प्रश्न क्रमांक-7 आवेदक के विरुद्ध निर्णीत किये जाते हैं।

—::— वा द प्र श न क मां क-5 —::—

32. इस संबंध में दोनों प्रकरणों के आवेदक सुनील कुमार एवं गुड्डू के द्वारा अपने मुख्य परीक्षण के अभिसाक्ष्य में यह बताया गया है कि दुर्घटना में हुई गंभीर उपहति के कारण वह मजदूरी करने में असमर्थ हो गये हैं, चल फिर नहीं पा रहे हैं। उन पर परिवार के भरणपोषण का दायित्व है जो वह पूरी तरह नहीं कर पा रहे हैं और उन्हें आई चोटों के इलाज में करीब एक लाख रुपये का खर्च हो गया था तथा ऑपरेशन कराया था

जिसमें 30 हजार रुपये खर्च हुए थे। तथा फल दूध आदि का सेवन अतिरिक्त करना पडा था और मजदूरी न कर पाने से उनके बच्चे विद्या अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं। तथा उन्हें व उनके परिजनों को गंभीर मानसिक वेदना हुई है। इसके लिये वे 25 हजार रुपये अतिरिक्त क्षतिपूर्ति पाने के अधिकारी हैं। तथा वह 300 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी करते थे जिससे भी करीब एक लाख रुपये की हानि हुई है। जो अनावेदक संयुक्ततः और पृथक्ततः पृथक्ततः दिलाई जावे।

33. वाद प्रश्न क्रमांक-2 के संदर्भ में यह निष्कर्ष दिया जा चुका है कि साक्ष्य मुताबिक आवेदक पूर्णतः स्वस्थ हो गये हैं और मजदूरी कर रहे हैं। यद्यपि दोनों आवेदकों ने प्रतिपरीक्षण के पैरा-4 में इस बात से इन्कार किया है कि वह पूरी तरह स्वस्थ हो गये हैं बल्कि उन्होंने यह कहा है कि वे कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। जबकि उनके ही साक्षी धर्मवीर के मुताबिक वे पूर्णतः स्वस्थ हो गये हैं। और बाराहेड की सडक बन रही है उसमें कार्य कर रहे हैं अर्थात् मजदूरी कर रहे हैं। अभिलेख पर 300 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से पूरे महीने मजदूरी करने संबंधी न स्पष्ट साक्ष्य है न ही कोई दस्तावेज है। और दुर्घटना के फलस्वरूप या कितने दिन मजदूरी से विरत रहे, इस संबंध में भी कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं है। इलाज में हुए खर्च के संबंध में जो दस्तावेज पेश किये गये हैं, उनका यदि अवलोकन किया जाये तो आवेदक सुनील के द्वारा प्र0पी0-9 लगायत प्र0पी0-23 के जो दस्तावेज पेश किये गये हैं उनमें प्र0पी0-9 लगायत प्र0पी0-19 एवं प्र0पी0-21 का कुल योग 18981/-रुपये होता है। शेष जो इलाज संबंधी पर्चियाँ पेश हैं उनमें केवल दवा का उल्लेख है। प्र0पी0-20 और 21 जो डबल अंकित हैं, उसमें आवेदक सुनील का नाम अंकित नहीं है। प्र0पी0-22 और 23 में सुनील का नाम अवश्य लिखा है किन्तु वह दवाईयों के पर्चे हैं जिससे यह स्पष्ट होता है कि सुनील के द्वारा उपचार दुर्घटना दिनांक 27.04.12 से 25-05-12 के दरम्यान ही लिखा है। उसके द्वारा ऑपरेशन का कोई बिल अलग से पेश नहीं है। ऐसे में उसके इलाज में एक लाख रुपये खर्च करना, ऑपरेशन में 30 हजार रुपये खर्च करना बताना दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित नहीं है। न ही इस संबंध में किसी चिकित्सक का कोई कथन कराया गया है। जो उसकी उपचार की स्थिति और भविष्य में उपचार की स्थिति स्पष्ट करे। जबकि मौखिक साक्ष्य मुताबिक आवेदक पूर्णतः स्वस्थ हो गया है। अर्थात् उसे भविष्य में उपचार की आवश्यकता नहीं है। ऐसे में आवेदक सुनील इलाज के खर्च के मद में 18981/-रुपये की राशि, उपचार के दौरान लिये गये विशेष आहार के मद में उसके मजदूर पेशा निम्न आयवर्गीय होने से 2,000/-रुपये एवं शारीरिक मानसिक वेदना के मद में 5,000/-रुपये की क्षतिपूर्ति राशि ही प्राप्त करने का पात्र होना पाया जाता है। इस तरह से आवेदक सुनील कुल क्षतिपूर्ति के रूप में 27981/-रुपये एवं उस पर अधिनिर्णय दिनांक सात वार्षिक साधारण ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी पाया जाता है।

34. जहाँ तक आवेदक गुड्डू का प्रश्न है, गुड्डू के द्वारा इस संबंध में जो दस्तावेजी साक्ष्य पेश की गई है उसमें प्र0पी0-9 लगायत 14, प्र0पी0-16,17, प्र0पी0-19 लगायत 21 के जो बिल व रसीदों को पेश किया है उनका कुल योग 4143/-रुपये बनता है। प्र0पी0-12 के रूप में अटेण्डर का प्रवेश पत्र है तथा साक्ष्य में यह भी स्वीकार किया गया है कि

प्र0पी0-9 एवं प्र0पी0-10 पर किसी मरीज या आवेदक का नाम अंकित नहीं है इसलिये वे रसीदें किसकी हैं, यही प्रमाणित नहीं होता है। इसलिये प्र0पी0-9 व 10 की राशि आवेदक को नहीं दिलाई जा सकती है। प्र0पी0-11 की राशि 200/-रुपये, प्र0पी0-13 की राशि 390/-रुपये, प्र0पी0-14 की राशि 60/-रुपये, प्र0पी0-16 की राशि 2500/-रुपये, प्र0पी0-17 की राशि 100/-रुपये, प्र0पी0-19 की राशि 45/-रुपये, प्र0पी0-20 की राशि 200/-रुपये और प्र0पी0-21 की राशि 200/-रुपये जिनका कुल योग 3395/-बनता है। शेष जो दस्तावेज पेश हैं उनमें प्र0पी0-15, 18 और प्र0पी0-22 दवाईयों के पर्चे व जांच रिपोर्टें हैं जिनके अवलोकन से आवेदक गुड्डू का दुर्घटना दिनांक 27.04.12 से 29.04.12 तक तीन दिन ही उपचाररत होना प्रकट होता है जिसे कोई गंभीर उपहति भी नहीं आई है। ऐसे में वह इलाज में हुए खर्च की राशि 3395/-रुपये एवं आवागमन व विशेष आहार मद में कुल 1,000/-रुपये और मानसिक वेदना व पीडा के लिये 1,000/-रुपये की राशि प्राप्त करने का पात्र है क्योंकि उसके द्वारा भी 300/-रुपये प्रतिदिन की मजदूरी का प्रमाण नहीं है। तथा एक लाख रुपये खर्च करने का कोई आधार नहीं है। न ही तीस हजार रुपये किसी ऑपरेशन में खर्च होने का प्रमाण है और उसे किसी ऑपरेशन की आवश्यकता भी नहीं थी। इसलिये उसके द्वारा बयान बढा चढाकर दिया जाना परिलक्षित होता है। इसलिये जो क्षतिपूर्ति की राशि आवेदक द्वारा चाही गई है वह उसे कतई पाने का पात्र नहीं है।

35. जहाँ तक यह प्रश्न है कि क्षतिपूर्ति राशि वह किससे पाने का अधिकारी है तो इस संबंध में वाद प्रश्न क्रमांक-4 एवं अतिरिक्त वाद प्रश्न क्रमांक-7 के विश्लेषण में निष्कर्ष निकाले जा चुके हैं कि बीमा पॉलिसी एवं मोटरयान अधिनियमों के प्रावधानों का उल्लंघन दुर्घटना के समय वाहन चालक व वाहन स्वामी के द्वारा किया गया था। इसलिये बीमा कंपनी उत्तरदायी नहीं है। ऐसे में आवेदकगण अनावेदक क०-1 व 2 से ही उक्त क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के वैधानिक रूप से पात्र पाये जाते हैं। फलतः वाद प्रश्न क्रमांक-5 आंशिक रूप से प्रमाणित निर्णीत किया जाता है।

-::- वा द प्र श न क मां क-6 -::-

36. उपरोक्त समग्र विश्लेषण के आधार पर आवेदक सुनील अनावेदक क०-1 व 2 से दुर्घटना के ऐवज में क्षतिपूर्ति की कुल राशि 27981/-रुपये एवं आवेदक गुड्डू 5395/-रुपये की राशि एवं उस पर अधिनिर्णय दिनांक से सात प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज पाने के अधिकारी पाये जाते हैं। फलतः उनके द्वारा प्रस्तुत की गई क्लेम याचिका वाद विचार आंशिक रूप से प्रमाणित निर्णीत करते हुए आवेदकगण के पक्ष में व अनावेदक क०-1 व 2 के विरुद्ध व अनावेदक क०-3 को दायित्व से मुक्त करते हुए निम्न आशय का अधिनिर्णय पारित किया जाता है कि:-

1. प्र0क०-34/14 का आवेदक सुनीलकुमार अनावेदक क०-1 व 2 गुरुजीतसिंह व सतनाम से संयुक्ततः एवं पृथक्ततः 27981/-रुपये (सत्ताईस हजार नौ सौ इक्यासी रुपये) एवं गुड्डू 5395/-रुपये (पांच हजार तीन सौ पिंचानवै रुपये) एवं दोनों उक्त क्षतिपूर्ति राशि पर अधिनिर्णय दिनांक से पूर्ण अदायगी तक सात प्रतिशत वार्षिक

साधारण ब्याज सहित प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। जो आवेदकगण अनावेदकगण क्रमांक-1 व 2 के द्वारा भुगतान न किये जाने की दशा में वैधानिक कार्यवाही कर वसूल सकते हैं।

2. आवेदकगण का प्रकरण व्यय भी अनावेदक क्र0-1 व 2 ही वहन करेंगे जिस पर अभिभाषक शुल्क प्रमाणित किये जाने पर या सारिणी मुताबिक जो भी कम हो, वह जोड़ा जावे।

तदनुसार व्यय तालिका बनायी जावे ।

दिनांक:—**08.04.2015**

अधिनिर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया

(पी.सी. आर्य)

सदस्य द्वितीय मोटरयान दावा
दुर्घटना अधिकरण, गोहद
जिला भिण्ड

(पी.सी. आर्य)

सदस्य द्वितीय मोटरयान दावा
दुर्घटना अधिकरण, गोहद
जिला भिण्ड